

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिड़ावा
क्रमांक:- कोर्ट/प्रार्थना पत्र/...89/2020 दायर दिनांक 24/12/2020

उनवान:- देवीलाल बनाम राजस्थान सरकार
धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :-

प्रार्थी श्री देवीलाल पिता भवंरलाल धाकड़ नि0 खांदलखेडी तहसील सुनेल के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का सामरिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुनेल की अनुशसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खांदलखेडी पटवार मण्डल सामरिया तहसील सुनेल जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 मे खाता संख्या 71 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी के पिता का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम खांदलखेडी पटवार मण्डल सामरिया तहसील सुनेल	71	1-देवीलाल पुत्र भंवरिया 2-भूरीबाई पत्नि भंवरिया	1-देवीलाल पुत्र भवंरलाल 2-भूरीबाई पत्नि भवंरलाल



(उम्मेद सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज०)
दिनांक 24/12/2020

क्रमांक:- राजस्व/1610-11/2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री देवीलाल पिता भवंरलाल धाकड़ नि0 खांदलखेडी को सूचनार्थ।

(उम्मेद सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज०)